भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1248
दिनांक 30 जुलाई, 2024 / 8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा

†1248. श्री टी.एम. सेल्वागणपतिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग काफी समय से लंबित है;
(ख) क्या यह सच है कि जब तक राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता, तब तक पुडुचेरी सरकार पुडुचेरी में और अधिक उद्योगों को आमंत्रित करके तथा पर्यटन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करके रोजगार की संभावना सृजित करने के लिए किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है;
(ग) क्या यह सच है कि पुडुचेरी विधानसभा द्वारा संघ राज्यक्षेत्र के लिए राज्य की मांग करते हुए अब तक 13 संकल्प पारित किए जा चुके हैं;
(घ) विधानसभा द्वारा संकल्प के बाद प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद केन्द्र द्वारा पुडुचेरी की यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिए जाने के क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए पुडुचेरी विधान सभा द्वारा समय-समय पर पारित संकल्पों पर विधिवत विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अलग भौगोलिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्थितियों को देखते हुए इसका दर्जा यथावत बनाए रखा जाए। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक मजबूत शासन और प्रशासनिक व्यवस्था है और मौजूदा संवैधानिक तथा कानूरी ढ़ाचे के भीतर, संघ राज्य क्षेत्र ने पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाएं स्थापित की है, और कई बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के .उद्योगों की स्थापना सहित औद्योगिक विकास और वाणिज्य को बढ़ावा दिया है।

******